Electronic Telephone Exchange in the Country

363. SHRI IQBAL SINGH: Will the Minister of State for COMMUNICATION be pleased to state:

The State-wise number of telephone exchanges in the country particularly in the State of Punjab which are likely to be converted into electronic exchange during 1995-96?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMUNICATION (SHRI SUKH RAM): The number of telephone exchanges likely to be converted into electronic exchanges during 1995-96 in the State of Punjab is 10. Out of these 9 have already been converted into electronic exchanges. The remaining one exchange is likely to be converted into electronic by March, 1996.

The information regarding the remaining States is being collected and will be placed on the Table of the House.

उत्तर प्रदेश में डाक विभाग में विभागेत्तर कर्मचारी

364. **श्री राजनाथ सिंह:** क्या **संचार** राज्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश में, विशेषकर पर्वतीय जिलों में डाक विभाग में विभागेत्तर कर्मचारियों की वर्तमान संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार को बीस वर्ष से अधिक समय से कार्य कर रहे विभागेत्तर कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने हेतु कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम): (क) उत्तर प्रदेश के पहाड़ी जिलों में अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियों की संख्या 6934 है और उत्तर प्रदेश सर्किल में इनकी कुल संख्या 42,298 है।

(ख) और (ग) अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियों की सेवाओं को, की गई सेवा अवधि पर विचार न करते हुए, नियमित करने के लिए स्वयं अतिरिक्त विभागीय एजेंटों से अथवा उनके हितों का प्रतिनिधित्व करने वाली सेवा यूनियनों, जन प्रतिनिधियों आदि से समय-समय पर अभ्यावेदन प्राप्त होते हैं। डाक विभाग के नियमित काडरों में भर्ती के लिए अतिरिक्त विभागीय एजेंटों को वरीयता दी जाती है। ग्रुप "घ" पदों पर भर्ती वरिष्ठता एवं उपयुक्तता के आधार पर पात्र अतिरिक्त विभागीय एजेंटों में से की जाती है। पोस्टमैन काडर के 50 प्रतिशत रिक्त पद अतिरिक्त विभगीय एजेंटों से ग्रुप "घ" बने कर्मचारियों में से भरे जाते हैं। पोस्टमैन काडर के शेष 50 प्रतिशत पद निम्न प्रकार से भरे जाते हैं:—

(i) 25 प्रतिशत पद उन अतिरिक्त विभागीय एजेंटों से उनकी वरिष्ठता के आधार पर भरे जाते हैं जिन्होंने कम से कम 15 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो।

(ii) 25 प्रतिशत पद अतिरिक्त विभागीय एजेंटों में से विभागीय परीक्षा में उनकी मेरिट के आधार पर भरे जाते हैं।

उपर्युक्त से यह देखा जा सकता है कि ग्रुप "घ" और पोस्टमैन काडर के रिक्त पद पुर्णतः अतिरिक्त विभागीय एजेंटों से भरे जाते हैं।

ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में टेलीफोन एक्सचेंज प्रणाली

365. **श्री गोपाल सिंह जी० सोलंकी:** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में नई टेलीफोन केन्द्र प्रणाली की मुख्य-मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ख) ग्रामीण क्षेत्रों में नई टेलीफोन केन्द्र प्रणाली को कार्यान्वित करने में विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार शीघ्र ही ग्रामीण संचार नीति तैयार करने का विचार रखती है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) ग्रामीण आधुनिक टेलीफोन संचार प्रणाली का कार्य पूरा करने के लिये निर्धारित समय-सारणी का ब्यौरा क्या है; और

(च) गत तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार विशेषकर

गुजरात में कितने गांवों में नये टेलीफोन कनैक्शन दिये गये हैं?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम): (क) विवरण I के अनुसार **(नीचे देखिए)**

(ख) कोई विलंब नहीं हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों में पिछले 5-6 वर्षों से इलैक्ट्रानिक-नुमा देशी नई टेलीफोन केन्द्र प्रणालियां काम कर रही हैं।

(ग) और (घ) जी नहीं। तथापि, राष्ट्रीय दूरसंचार-नीति, 1994 की परिकल्पना इस प्रकार है:—

(i) 1997 तक मांगते ही सभी के लिए तथा सभी की पहुंच के भीतर टेलीफोन की उपलब्धता सुनिश्चित करना।

(ii) 1997 तक सभी गांवों को इस नीति के तहत समाविष्ट करना।

(ङ) 8वीं योजना के उद्देश्यों में इस प्रकार व्यवस्था है:—

(i) देश के सभी गांवों में 1997 तक क्रमिक रूप से टेलीफोन की व्यवस्था।

(ii) 31.3.97 तक सभी स्ट्रोजर नुमा मैक्स-III केन्द्रों को क्रमिक रूप से इलेक्ट्रानिक केन्द्रों में बदलना।

(च) विवरण II के अनुसार **(नीचे देखिए)**

विवरण-I

पैरा (क) ग्रामीण तथा आदिवासी क्षेत्रों के टेलीफोन केन्द्रों की नई प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं:—

इन क्षेत्रों में संस्थापित इलैक्ट्रानिक एक्सचेंजों की सामान्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:—

1. ये इलैक्ट्रानिक नुमा देशी एक्सचेंज है।
2. ये एक्सचेंज अवातानुकूल-माहौल में ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यक्षम हैं।
3. इनमें एस टी डी/आई एस डी तथा ग्रुप डायलिंग-सुविधाएं हैं।
4. जरूरत पड़ने पर, विस्तृत बिलिंग की सुविधा।
5. जरूरत पड़ने पर, पुश-बटन टेलीफोन डायलिंग।
6. चल कार्य साधन की व्यवस्था।

विवरण-II

गत तीन वर्षों के दौरान जारी किए गए नए टेलीफोन कनेक्शनों के राज्यवार गांवों के आंकड़े

क्रम सं॰	राज्य का नाम	उन गांवों की संख्या, जहां गत तीन वर्षों (1992-93, 1993-94 तथा 1994-95) के दौरान जारी किए गए नए टेलीफोन कनेक्शन
1.	आन्ध्र प्रदेश	5415
2.	असम	3186
3.	बिहार	4786
4.	संघ शासित क्षेत्र दादर व नगर हवेली, दमण दीव सहित गुजरात	8166
5.	हरियाणा	3571
6.	हिमाचल प्रदेश	1226
7.	जम्मू-कश्मीर	641
8.	कर्नाटक	7731
9.	संघ शासित क्षेत्र लक्षद्वीप सहित केरल	18
10.	मध्य प्रदेश	17694

11.	गोवा राज्य, सहित महाराष्ट्र	12679
12.	पूर्वोत्तर (अरूणाचलम प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नगांलैंड व त्रिपुरा के राज्य)	1633
13.	उड़ीसा	5614
14.	संघ शसित क्षेत्र चंड़ीगढ़ सहित पंजाब	6233
15.	राजस्थान	7704
16.	संघ शसित क्षेत्र पाण्डिचेरी सहित तमिलनाडु	5507
17.	उत्तर प्रदेश	15761
18.	सिक्किम राज्य सहित पश्चिम बंगाल	3103
19.	संघ शसित क्षेत्र अण्डमान व निकोबार	55
20.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	9
	जोड़:	110732

पेट्रोल पम्प और गैस-एजेंसियों का आवंटन

366. **रामजी लाल:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

चालू वर्ष के दौरान सरकार ने कितने पेट्रोल पम्प और गैस एजेंसियां आवंटित की है तथा इनके आवंटन का मापदण्ड क्या है;

(ख) क्या सरकार इस सम्बन्ध में संसद-सदस्यों की संस्तुति को ध्यान में रखती है; और

(ग) इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश शर्मा):

(क) से (ग) भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने दिनांक 31.3.1995 के आदेश में विवेकाधीन कोटे के अंतर्गत डीलरशिपों/डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के आबंटन के लिए निम्नलिखित दिशा निर्देश अनुमोदित किए थे:—

(i) ऐसे व्यक्ति का आश्रित जिसने देश के लिए उच्चतम बलिदान किया हो, परन्तु जिसका अब तक समुचित रूप से पुनर्वासन नहीं किया गया है।

(ii) ऐसे परिवार का सदस्य जो आतंकवादी आक्रमण, भूकम्प, बाढ़ आदि जैसी अप्रत्याशित परिस्थितियों का शिकार हुआ हो।

(iii) शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति।

(iv) ड्यूटी के दौरान स्थाई रूप से अपंग हुए रक्षा/अर्ध सैनिक/पुलिस कार्मिक/अन्य केन्द्रीय/राज्य सरकार के कर्मचारी।

(v) अपसामान्य परिस्थितियों में अपने प्राण गंवाने वालों के निकटतम संबंधी अर्थात विधवा, माता-पिता, बच्चे।

(vi) कठिन परिस्थितियों में रह रहे उत्कृष्ट खिलाड़ियों, संगीतकारों, साहित्यकारों आदि जैसे विख्यात पेशेवर व्यक्ति और उच्च उपलब्धि प्राप्त महिलाएं।

(vii) बेहद दुख-तकलीफ के विशिष्ट मामले, जो सरकार की राय में अत्यंत मार्मिक हैं